

उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: : राज/भील/420/क्वार्ट्ज.फेल्सपार-223

अजमेर दिनांक 24/9/2013

प्रेषित श्री मसीत मोहमद शेख पुत्र श्री गफूर मोहमद शेख
निवासी- बागोर
तहसील- मांडल , भीलवाड़ा-311402

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले मे स्थित आपकी MOKHAMPURA (17/02) क्वार्ट्ज फेल्सपार खान 4.9 हेक्टर मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड -22RAJ06237)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 1/9/2013 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण मे पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा

13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved scheme of mining by state government dated 7/6/2013 to the extent given below.

a) As per approved scheme of mining , it was proposed to plants 100 saplings each year but the same has not been carried out.

b) Mining engineer has not been employed as proposed in scheme of mining.

02. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की रिथति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक